मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-15

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2004 (श्रावण 5, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में प्रश्नोत्तर काल प्रारम्भ होते ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य सदन में माननीय मुख्यमंत्री के उपस्थित होने की बात कहते हुए गर्भगृह में आ गए तथा मुख्यमंत्री उमा भारती सदन मे आओ के नारे लगाने लगे)

(अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नोत्तर काल में कांग्रेस पक्ष के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा गर्भगृह से नारेबाजी करते रहने के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की गई)

(व्यवधान होने के कारण आज प्रश्नकाल में किसी भी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सके)

व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 10.46 बजे 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होकर 11.31 बजे पुन: प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(श्री सुभाष यादव, श्री इंद्रजीत कुमार, श्री हरवंश सिंह एवं श्री सज्जन सिंह वर्मा सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक सदस्य गर्भगृह में आ गए तथा मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के सदन में आने की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की सतना जिले के हटा तालाब के गहरीकरण करने वाले मजदूरों को मजदूरी न मिलने,

(2) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, सदस्य की सीहोर जिले के आष्टा नगर में मंडी रोड की जर्जर हालत होने,

(3) श्री जगन्नाथ सिंह, सदस्य की सीधी जिले के अनेक हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में शिक्षकों का अभाव होने,

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भोपाल स्थित भोजवैट लैंड परियोजना के विस्थापितों को अन्यत्र भूखंड़ उपलब्ध न कराने,

(5) श्री बाबूलाल सीताराम महाजन, सदस्य की खरगौन नगर से अपहृत लड़की की हत्या के अपराधियों को गिरफ्तार न किये जाने,

(6) श्री दिलिप सिंह गुर्जर, सदस्य की प्रदेश के सहकारी उपभोक्ता भण्डारों में अनियमितताएं होने,

(7) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की कूचदौड़ में पुलिस चौकी की स्थापना की जाने,

(8) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की म.प्र. के प्रमुख नगरों विशेषकर भोपाल के उपनगर बैरागढ़ में सड़क के किनारे लगी पान की गुमटियां हटाई जाने

(9) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चांद का भवन जर्जर होने, तथा

(10) डॉ.सुनीलम्, सदस्य की बैतूल जिले के अनेक ग्रामों में सोयाबीन की फसल में इल्ली का प्रकोप होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री ऊर्जा ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1714-म.प्र.वि.नि.-04, दिनांक 25 जून, 2004 पटल पर रखी।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री पारस जैन, सदस्य ने म.प्र. शासन द्वारा भूमि सीमा अधिनियम समाप्त किये जाने के बाद भी कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती की सदन से अनुपस्थिति के विरोध में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया)

(श्री राजवर्धन सिंह "दत्तीगांव", ठा. सोबरन सिंह 'बाबूजी", श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनकी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

5. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2004 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
(1)	मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 41 सन् 1997) को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गये रूप में.	1 घन्टा
(2)	मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 10 सन् 2004)	30 मिनिट
(3)	मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2004)	1 घन्टा
(4)	मध्यप्रदेश राजमार्ग विधेयक, 2004 (क्रमांक 13 सन् 2004)	1 घन्टा 30 मिनिट

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री ओम प्रकाश खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले के बदरवास एवं बिजरौनी ग्राम के बीच सिंध नदी पर पुल बनाये जाने,

(2) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) चौरई नगर में डिवाईडर मार्ग बनाये जाने,

(ख) ग्राम समसवाड़ा में कन्या माध्यमिक शाला खोले जाने,

(ग) ग्राम सिरस में पेंच नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(घ) ग्राम मोहगांव कला में निस्तारी तालाब बनाये जाने,

(ङ) ग्राम झिरिया से पांजरा तक सड़क बनाये जाने, तथा

(च) ग्राम जुरतरा स्थित निस्तारी तालाब का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) ग्राम तोर में कन्या माध्यमिक शाला खोले जाने,

(ख) ग्राम देवगढ़, खांडोली, बघपुरा (जखौना) आदि ग्रामों को चंबल नदी के कटाव से बचाये जाने,

(ग) ग्राम बागचीनी मार्ग से बरौली तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(घ) ग्राम गौसपुर एवं मृगपुरा की कृषि भूमि को दलदल होने से बचाये जाने, तथा

(ङ) ग्राम मोघना से बागचीनी तक सड़क बनाये जाने,

(4) श्रीमती रेखा रत्नाकर, सदस्य की शाजापुर जिले के ग्राम कसाई देहरिया स्थित तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने,

(5) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, सदस्य की सीहोर जिले के ग्राम बजाखेड़ी के कृषकों को अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,

(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के ओरछा-चकरपुर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(7) श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्य की सिवनी जिले के छपारा नगर में महाविद्यालय भवन बनाये जाने,

(8) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम सोनखेड़ा में हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(ख) मोरा खोयरा बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(9) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा, सदस्य की छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम विक्रमपुर के पास परा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने,

(ख) टौरिया-सूरजपुरा-सेहफाल पहुंच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम धमौरा से टुरिया तक पंहुच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(घ) राजनगर- छतरपुर मार्ग के चौबर नाला पर पुल बनाये जाने,

(10) श्री विजयबहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य की छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम गौरिहार स्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(ख) नगर पंचायत बारीगढ़ में पेयजल टंकी बनाये जाने,

(ग) ग्राम हथौहा से चन्दला तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(घ) ग्राम हिनौता से चन्दला तक सड़क बनाये जाने,

(11) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की मंदसौर जिले के -

(क) ग्राम हतुनिया में हाई स्कूल खोले जाने,

(ख) ग्राम लटूसा में हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(ग) ग्राम अफजलपुर में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने, एवं

(12) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के -

(क) ग्राम जसो स्थित कन्या प्राथमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम जसो के पास नाले पर पुल बनाये जाने,

(ग) ग्राम जसो में स्टेडियम बनाये जाने,

(घ) ग्राम जसो में कृषि उपज मंडी बनाये जाने,

(ङ) ग्राम जसो की जल प्रदाय योजना का नवीनीकरण कराये जाने, तथा

(च) नगर पंचायत कोठी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

7. वक्तव्य

डॉ. ढालसिंह बिसेन, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश औषधि एवं सुगंधित पौधे विकास रणनीति पर वक्तव्य दिया।

डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हरनाम सिंह राठौर, पशुपालन मंत्री ने मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग (निरसन)विधेयक, 2004 (क्रमांक 10 सन् 2004), तथा

(2) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2004),

सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किये।

9. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री रूस्तम सिंह, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -43	खेल एवं युवक कल्याण के लिए चार करोड़, तीस लाख, बानवे हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या -	1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री विक्रम सिंह
(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(3) श्री नागेन्द्र सिंह "गुढ़"
(4) श्री हुकुम चंद यादव
(5) श्री ताराचंद बावरिया
(6) श्री भूपेन्द्र सिंह आर्य
(7) श्री उमाशंकर गुप्ता
(8) श्री अर्जुन पलिया
(9) श्री लालसिंह आर्य
(10) श्री बहादुर सिंह चौहान
(11) श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला
(12) श्री बृजेन्द्र तिवारी
(13) श्री गुरुचरण सिंह

श्री रूस्तम सिंह, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस,समाज कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार स्ताव करती हूं कि 31 मार्च,2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को"लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि"के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -34	समाज कल्याण के लिए सोलह करोड़, सत्ताईस लाख, नौ हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -55	महिला एवं बाल विकास के लिए दो सौ तैतालीस करोड़, पांच लाख, पैसठ हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 34	5,6,7
मांग संख्या - 55	1,2

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. सुनीलम्

सभापति महोदय (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) पीठासीन हुए.

(2) श्री लालसिंह आर्य
(3) श्रीमती रंजना बघेल
(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(5) श्री शिवप्रसाद राठौर
(6) श्रीमती रेखा रत्नाकर
(7) श्री नानालाल पाटीदार
(8) श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला
(9) सुश्री उषा ठाकुर

श्रीमती अर्चना चिटनीस, समाज कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री सुनील नायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए एक सौ इकतीस करोड़, अड़तालीस लाख, नौ हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 20	4,7,8,10,13

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(2) श्री उमाशंकर गुप्ता

सभापति महोदया (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुई

(3) कुंवर विजयबाहदुर सिंह बुन्देला
(4) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला
(5) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(7) श्री बृजेन्द्र तिवारी

(8) डॉ. सुनीलम्
(9) श्री हरिशंकर खटीक
(10) श्री बहादुर सिंह चौहान

श्री सुनील नायक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, आवास एवं पर्यावरण राज्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 21	आवास एवं पर्यावरण के लिए उन्हत्तर करोड़, पचानवे लाख, अठहत्तर हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए चौदह करोड़, अठठावन लाख, तैतीस हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 21	3

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(4) श्री नारायण त्रिपाठी
(5) श्री शंकरलाल तिवारी
(6) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल
(7) श्री लाखन सिंह बघेल

श्री राजेन्द्र शुक्ल, आवास एवं पर्यावरण राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन राज्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 25	खनिज साधन के लिये छः करोड़, चौबीस लाख, बानवे हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 32	जनसंपर्क के लिये तेईस करोड़, उनासी लाख, चौबीस हाजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 25	3

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री नारायण त्रिपाठी

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(3) श्री गिरिजाशंकर शर्मा

(4) श्री के.डी. देशमुख

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनिज साधन राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर के प्रबन्ध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि -

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर के प्रबन्ध मण्डल के लिए राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन हेतु नाम वापसी के पश्चात् केवल तीन उम्मीदवार ही शेष हैं. चूंकि तीन ही सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं अतः मैं, निम्नलिखित माननीय सदस्यों को उक्त विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं :-

(1) श्री भक्तपाल सिंह

(2) श्री मारोतराव खवसे

(3) श्री निशिथ पटेल

11. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(6) श्री गोपीलाल जाटव, अनुसूचित जाति कल्याण राज्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या - 15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए एक सौ छियासठ करोड़, छियासी लाख, चौरासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए पच्चीस करोड़, पन्द्रह लाख, उनहत्तर हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या - 64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए तीनसौ अस्सी करोड़, छियासी लाख, इक्यानवे हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय

सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 15	1
मांग संख्या - 49	2,4,5,8
मांग संख्या - 64	1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री नारायण त्रिपाठी
(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(3) श्री ताराचंद बाबरिया
(4) श्री लाल सिंह आर्य

श्री गोपीलाल जाटव, अनुसूचित जाति कल्याण राज्यमंत्री का वक्तव्य पटल पर रखा हुआ माना गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2004 (क्रमांक 12 सन् 2004) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

5.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 28 जुलाई, 2004 (श्रावण 6, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.